उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 संख्या-24/2021-सा-3-804/दस-2021-301/2000टी0सी0

लखनऊ : दिनॉक 22 दिसम्बर, 2021

Government of Uttar Pradesh Finance (General) Section-3 No.24/2021-G-3-804/X-2021-301/2000T.C.

Dated: Lucknow: 22 December, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-6/2021/22099/1401/2020- वित्त अनुभाग-22-वित्त विभाग, दिनांक 24 अगस्त, 2021 सपिठत शासनादेश संख्या-07/2021/आई/91548/2021-फा0नं0-10-22099/1401/2020-22 दिनांक अगस्त, 2021 द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2021 से महॅगाई राहत की दर 17 प्रतिशत से बढ़कार 28 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार

Office - Memorandum

Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.

Vide government order No. 6/2021/22099/1401/2020-

Finance Section-22-Finance Department, Dated 24 August, 2021 read with government order No. 07/2021/I/91548/2021/File no-10-22099/1401/2020-22,

Dated 25 August, 2021 the dearness relief admissible to pensioners/ family pensioners of the state was increased from 17 percent to 28 percent w.e.f. July 01, 2021.

2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more installment of dearness relief of 03 percent w.e.f. July 01, 2021 on the

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संशोधित/ स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनॉक 01 जुलाई, 2021 से महँगाई राहत की 03 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है। pension/ family pension revised/ determined under the provisions of the government orders issued under the recommendations of Uttar Pradesh pay Committee 2016.

- 3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 28 प्रतिशत से बढकर दिनॉक 01 जुलाई, 2021 से 31 प्रतिशत हो जायेगी।
- 3- As a consequence of the abovementioned 03 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family pension will rise from existing 28 percent to 31 percent with effect from July 01, 2021.
- 4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।
- 4- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.
- 5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पंशनरों/ पारिवारिक पंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।
- 5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners /family pensioners are being issued.
- 6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा
- 6- These orders will also be applicable to the pensioners of the

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ln से सत्यापित की जा सकती है ।

institutions aided from State Fund, के अन्तर्गत राज्य निधि से विभाग under the Education/ Technical सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे Education Departments, whose पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान pension / family pension is at par पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी with that of the pensioners of the लागू होंगे। State Government. As per orders issued in शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-7-O.M. No. A - 1-252 / X- 10 (3)-81, 252/दस-10(3)-81, दिनॉक 27 अप्रैल, April 27, 1982 1982 में निर्गत आदेशान्सार पेंशन पर Accountant General's authority is अतिरिक्त राहत आदि के भ्गतान के लिए not necessary for payment of relief of pension and as such के प्राधिकार-पत्र महालेखाकार the payment of dearness relief आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भगतान shall be made by the concerned अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के pension disbursing authorities on आधार पर ही उपरोक्तान्सार अनुमन्य this office the basis of महँगाई राहत का भगतान करें memorandum alone. जायेगा। महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध 8- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध, जो इससे laid down in earlier Government संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, orders shall remain applicable as पूर्ववत लागू रहेंगे। before. (नील रतन कुमार), (Neel Ratan Kumar) Special Secretary, Finance. विशेष सचिव, वित्त। सेवा में, To, (1)-All Additional Chief Secretaries (1)-उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर

Principal

Secretaries

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

56/sedie

मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारीगण।

- (2)-महलेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3)-महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहराद्न।
 - (4)-समस्त राज्यों के महालेखाकार।

- Secretaries to the Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers.
- (2)-Accountant General (Account & Entitlement)-1,2 & Audit-1,2, Uttar Pradesh, Prayagraj.
- (3)-Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.
- (4)- Accountants General of all states

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।